



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
 भाग-4, खण्ड (ख)  
 (परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2020  
 आश्विन 29, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन  
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

संख्या 1389/81-2-2020-4(8)-2020  
 लखनऊ, 21 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-280

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16 सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2-पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, वन बन्दोबस्त अधिकारी, मीरजापुर को उक्त वन भूमि के सम्बन्ध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करती हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन खण्ड	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
मीरजापुर	सदर	कतित (96)	अकोढी	1	869	0.936	उत्तर-आराजी संख्या 857, 858, 866, 867, 868 पूर्व-रसूलपुर उर्फ शिवपुर ग्राम की सीमा दक्षिण-आराजी संख्या 870 पश्चिम-आराजी संख्या 856

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	वन खण्ड	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
मीरजापुर	सदर	कंतित (96)	अकोढी	2	862 मि0	0.144	उत्तर-आराजी संख्या 862 का शेष भाग पूर्व-रसूलपुर उर्फ शिवपुर ग्राम की सीमा दक्षिण-आराजी संख्या 866, 867, 868 पश्चिम-आराजी संख्या 863
				योग	02 किता	1.08	

आज्ञा से,  
सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1389/LXXXI-2-2020-4(8)-2020, dated October 21, 2020 :

No. 1389 /LXXXI-2-2020-4(8)-2020

*Dated Lucknow, October 21, 2020*

IN exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 4 of the Indian Forest Act, 1927 (Act no. 16 of 1927), the Governor is pleased to declare that it has been decided to constitute the land mentioned in the Schedule below as a reserved forest.

2. Under clause (c) of sub-section (1) of section 4 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to appoint the Forest Settlement Officer, Mirzapur as the Forest Settlement Officer with respect to the aforesaid forest land.

#### SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Forest Block	Khasra No.	Area (In Hec.)	Boundary Description
1	2	3	4	5	6	7	8
Mirzapur	Sadar	Kantit (96)	Akodhi	1	869	0.936	North - Khasra no. 857, 858, 866, 867, 868 East - Boundary of Village Rashulpur/Shivapur South - Khasra no. 870 West - Khasra no. 856
				2	862 Mi	0.144	North - Rest area of Khasra no. 862 East - Boundary of Village Rashulpur/Shivapur South - Khasra no. 866, 867, 868 West - Khasra no. 863
				Total	02 Kita	1.08	

By order,  
SUDHIR GARG,  
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 339 राजपत्र-2020-(801)-599+25=624 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी0/ऑफसेट)।